राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं02, सैक्टर–17,
पंचकूला।

<u>प्रैस नोट</u>

<u>पंचायत आम चुनाव</u>

पंचकूला 15 दिसम्बर, 2015ः–हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव शर्मा ने बताया है कि याचिका (सिविल) संख्या 671 आफ 2015 (राजबाला तथा अन्य बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.9.2015 के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा ने अपनी अधिसूचना दिनांक 8 सितम्बर, 2015 के अनुवर्ती सभी गतिविधियों तथा इस सम्बन्ध में सभी अन्य अधिसूचनाओं/आदेशों को अगले आदेशों तक रोक लिया था । यह भी आदेश दिया गया था कि जिला परिषदों के सम्बन्ध में तथा पंचों, संरपंचों तथा पंचायत समितियों के सदस्यों के प्रथम चरण के चुनावों के लिए प्राप्त नांमाकन पत्र आगामी आदेशों तक जिला परिषद् तथा पंचायत समिति के लिए रिटरनिंग अधिकारी के कार्यालय में ज्यों के त्यों रखे जाएंगे और ग्रम पंचायतों के मामले में नांमाकन पत्र खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में ज्यों के त्यों रखे जाएंगे।

2. श्री शर्मा ने आगे बताया कि अब भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 10.12.2015 के तहत याचिका (सिविल) संख्या 671 आफ 2015 को रद्द कर दिया है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा ने ग्राम पंचायतों (जिला यमुनानगर की ग्राम पंचायत छछरौली, रादौर, सढौरा, जिला भिवानी की सुधीवास, तोशाम, जिला गुड़गांव की चन्दु, बुडेढा, वजीरपुर, जिला करनाल की निसिंग (ग्रमीण), जिला पंचकूला की बेरवाल नान्दला, जिला फतेहाबाद की जाखल मण्डी, जिला पलवल की हसनपुर, जिला **<u>कुरूक्षेत्र की समालखा</u>** और जिला मेवात की ग्राम पंचायत फिरोजपुर झिरका (ग्रामीण) को छोड़कर) के पंचों, सरपंचों और सभी पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के सदस्यों के पांचवें पंचायत आम चुनाव आयोजित करने के लिए कार्यक्रम जारी किया है। चुनाव तीन चरणों में अर्थात् 10.01.2016,

17.01.2016 और 24.01.2016 को आयोजित किये जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों पर चुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम निम्नानुसार हैः–

<u>समय सारणी</u>

क्रम संख्या	कार्यक्रम	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण
1.	वह तिथि जब हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 के नियम 24 के तहत नामांकन आमंत्रित करने के लिए प्रपत्र 2 या 3, जैसी भी स्थिति हो, में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सूचना प्रकाशित की जायेगी।	17.12.2015	23.12.2015	30.12.2015
2.	जिस तिथि को नियम 24(2) (i) के तहत नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जाएंगे।	23.12.2015 से 29.12.2015 (प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक)	30.12.2015 से 04.01.2016 (प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक)	05.01.2016 से 09.01.2016 (प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक)
3.	जिस तिथि को नियम 24(2) (ii) के तहत प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची चिपकाई जाएगी।	23.12.2015 से 29.12.2015	30.12.2015 से 04.01.2016	05.01.2016 से 09.01.2016
4.	जिस तिथि तक उम्मीदवारों द्वारा प्रपत्र 4–क व 4–ख में शपथ पत्र व घोषणा सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किये जाएंगे (नियम 27)	23.12.2015 से 29.12.2015	30.12.2015 से 04.01.2016	05.01.2016 से 09.01.2016
5.	जिस तिथि को नियम 24(2) (iii) के तहत नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी।	30.12.2015 (प्रातः10.00 बजे से)	05.01.2016 (प्रातः10.00 बजे से)	11.01.2016 (प्रातः10.00 बजे से)
6.	नियम 24(2) (iv) के तहत उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि	01.01.2016 (अपराह्न 3.00 बजे तक)	07.01.2016 (अपराह्न 3.00 बजे तक)	13.01.2016 (अपराह्न 3.00 बजे तक)
7.	जिस तिथि को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आबंटित किये जाएंगे।	01.01.2016 (अपराह्न 3.00 बजे के बाद)	07.01.2016 (अपराह्न 3.00 बजे के बाद)	13.01.2016 (अपराह्न 3.00 बजे के बाद)
8.	जिस तिथि को नियम 24(2) (v) के तहत चुनाव	01.01.2016 (चिन्ह आबंटित करने के तुरन्त	07.01.2016 (चिन्ह आबंटित करने के तुरन्त	13.01.2016 (चिन्ह आबंटित करने के तुरन्त

	लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चिपकायी जायेगी।	बाद)	बाद)	बाद)
9.	जिस तिथि को नियम 24(2) (vi) के तहत मतदान, यदि कोई है, आयोजित किया जायेगा	10.01.2016 **(रविवार)**	17.01.2016 **(रविवार)**	24.01.2016 **(रविवार)**
10.	मतदान का समय	**प्रातः 7.30 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच**	**प्रातः 7.30 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच**	**प्रातः 7.30 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच**
11.	मतों की गणना	i) पंचों और सरपंचों के मामले में मतदान बन्द होने के तुरन्त बाद। ii) पंचायत समिति और जिला परिषद् के सदस्यों के मामले में मतगणना सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) द्वारा निर्धारित स्थान पर **28.1.2016 को प्रातः 8.00 बजे।** iii) पंचायत समिति और जिला परिषदों के सदस्यों के पुनः मतदान के मामले में, आयोग मतगणना की तिथि तथा समय में परिवर्तन कर सकता है।		

3. श्री शर्मा ने आगे बताया कि पंचों, सरपंचों और पंचायत समितियों के सदस्यों की सीटों के चुनावों के लिए समय सारणी चरणवार होगी ताकि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने प्रचार के लिए लगभग एक समान समय मिल सके। परन्तु जिला परिषद् के सदस्य के चुनाव के मामले में चरणवार समय सारणी सम्भव नहीं है क्योंकि जिला परिषदों के विभिन्न वार्डो का अधिकार क्षेत्र दो या दो से अधिक खण्डों के अधिकार क्षेत्र मे पड़ता है। इस प्रकार सूचना के प्रकाशन, नामांकन प्राप्ति, छंटनी, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, जिला परिषद् के सदस्य का चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आंबटन इत्यादि, की तिथि समान रहेगी। जैसा कि प्रथम चरण की सारणी में वर्णित है, परन्तु उनका खण्डवार चुनाव दिनांक 10.01.2016 से 17.01.2016 तथा 24.01.2016 को आयोजित किया जायेगा।

4. राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा ने आगे बताया है कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में जोड़े गये खण्ड निम्नानुसार होंगेः–

क्रम संख्या	जिला	ब्लाक प्रथम चरण	ब्लाक दूसरा चरण	ब्लाक तीसरा चरण
1.	अम्बाला	1. बराड़ा 2. साहा	1. अम्बाला–1 2. अम्बाला–11	1. शहजादपुर 2. नारायणगढ़
2.	भिवानी	1. भिवानी 2. दादरी–1 3. बाढड़ा	1. तोशाम 2. सिवानी 3. भवानी खेड़ा	1. दादरी–11 2. लोहारू 3. कैरू 4. बहल
3.	फरीदाबाद	1. फरीदाबाद 2. बल्लभगढ़	--	--
4.	फतेहाबाद	1. फतेहाबाद 2. टोहाना	1. भूना 2. भट्टू कलां	1. रतिया 2. जाखल
5.	गुडगावां	1. गुडगावां 2. सोहना	1. पटौदी 2. फारुखनगर	--
6.	हिसार	1. हिसार–1 2. हिसार–11 3. नारनौंद	1. हांसी–1 2. हांसी–11 3. बरवाला	1. आदमपुर 2. उकलाना 3. अग्रोहा
7.	जींद	1. जींद 2. सफीदों	1. नरवाना 2. उचाना	1. जुलाना 2. अलेवा 3. पिल्लूखेड़ा
8.	झज्जर	1. झज्जर 2. बहादुरगढ़	1. बेरी 2. मातनहेल 3. सालहावास	--
9.	करनाल	1. असन्ध 2. इन्द्री	1. घरौंडा 2. निसिंग	1. करनाल 2. नीलोखेड़ी
10.	कैथल	1. गुहला 2. कैथल	1. पुण्डरी 2. राजौंद	1. सिवान 2. कलायत
11.	कुरुक्षेत्र	1. थानेसर 2. पिहोवा	1. इस्माईलाबाद 2. शाहाबाद	1. लाड़वा 2. बबैन
12.	महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल	1. अटेली नागल 2. कनीना 3. सिहमा	1. नारनौल 2. सतनेल 3. महेन्द्रगढ	1. नाजीमपुर 2. नागल चौधरी
13.	मेवात स्थित नूंह	1. पुन्हाना	1. नगीना 2. फिरोजपुर झिरका	1. नूंह 2. तावडू
14.	पानीपत	1. पानीपत 2. इसराना	1. मडलौडा 2. समालखा	1. बापौली 2. सनोली खुर्द
15.	पंचकूला	1. पिन्जौर	1. बरवाला	--

		2. मोरनी	2. रायपुर रानी	
16.	पलवल	1. पलवल 2. पिथला 3. होडल	1. हसनपुर 2. हथीन	--
17.	रोहतक	1. रोहतक 2. सापला	1. महम 2. लाखनमाजरा	1. कलानौर
18.	रिवाड़ी	1. रिवाड़ी 2. बावल	1. नाहर 2. खोल	1. जाटूसाना
19.	सिरसा	1. बडागुड़ा 2. डबवाली 3. ओडा़न	1. रानिया 2. ऐलानाबाद	1. नाथूसारी चौपटा 2. सिरसा
20.	सेनीपत	1. सोनीपत 2. खरखौदा 3. मुण्डलाना	1. गोहाना 2. कथूरा	1. गनौर 2. मूरथल 3. राई
21.	यमुनानगर	1. छछरौली 2. जगाधरी	1. सढौरा 2. बिलासपुर	1. रादौर 2. मुस्तफाबाद

5. उन्होनें आगे बताया है कि जिन उम्मीदवारों ने सरकार की अधिसूचना संख्या एलईजी. 15/2015, दिनांक 7.9.2015 के तहत किये गये संशोधन के अनुसार पहले से ही नामांकन पत्र दायर किये हुये हैं उन्हें नये सिरे से नामांकन दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उन्हें इसके लिए निर्धारित अवधि के दौरान सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष, अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रपत्र 4 ख में नये सिरे से घोषणा/शपथ पत्र दाखल करना होगा।

6. उन्होनें आगे बताया कि उपर वर्णित कार्यक्रम के अनुसार पंचों, सरपंचों की सीटों के लिए नामांकन ग्राम मुख्यालय पर, पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए नामांकन खण्ड मुख्यालयों पर तथा जिला परिषदों के लिए नामांकन जिला मुख्यालय पर प्राप्त किये जाएगें। नामांकन पत्रों की छंटनी रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

7. उन्होनें बताया है कि पंच/संरपचं/पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखल करने वाले उम्मीदवारों को

सरकारी खजाने या उप खजाने या रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के पास निम्नानुसार राशि नकद जमा करवानी होगीः–

सीट	सामान्य	अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग
पंच	100 रूपये	40 रूपये
सरपंच	200 रूपये	100 रूपये
पंचायत समिति सदस्य	300 रूपये	150 रूपये
जिला परिषद् सदस्य	400 रूपये	200 रूपये

8. श्री राजीव शर्मा ने बताया है कि पंचों और संरपचों के लिए मतों की गिनती मतदान केन्द्रों पर उसी दिन की जायेगी जबकि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों के लिए मतों की गिनती सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा निर्धारित स्थान पर **28.01.2016** को की जाएगी।

9. उन्होनें आगे बताया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके द्वारा अधिकृत एजेन्ट द्वारा किये जाने वाले खर्च की सीमा निम्नानुसार बढ़ायी गई हैः–

क्रम संख्या	पद	पिछले खर्चे की सीमा (रूपये)	मौजूदा खर्चा (रूपये)
1.	पंच (ग्राम पंचायत सदस्य)	5,000	10,000
2. (क)	सरपंच (ग्राम पंचायत के सरपंच 15 वार्ड तक)	15,000	30,000
(ख)	सरपंच (ग्राम पंचायत के सरपंच 15 वार्ड से अधिक वार्ड होने पर)	25,000	50,000
3.	पंचायत समिति के सदस्य	50,000	1,00,000
4.	जिला परिषद के सदस्य	1,00,000	2,00,000

10. उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का खाता कायम करना होगा और इसे परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित ढ़ग से, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), या आयोग द्वारा विर्निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी के पास

जमा करवाना होगा, जिसमें विफल रहने पर चूककर्ता उम्मीदवार को हरियाणा पंचायती राज चुनाव खर्च (रख रखाव एवं खाते जमा करवाना) आदेश, 1996 के तहत, ऐसे आदेश जारी होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

11. श्री शर्मा ने आगे बताया कि सभी जिलों में सरपंचों और जिला परिषदों के सदस्यों की सीटों के चुनाव में इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग किया जायेगा ; जिला पंचकूला और रेवाड़ी में पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव में भी इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जायेगा जिसके लिए सिंगल पोस्ट की 45000 ई0वी0एम0; और 1300 सी0यू0 तथा 2600 बी0यू0 मल्टी पोस्ट ई.वी.एम का प्रयोग किया जायेगा। मल्टी पोस्ट ई0वी0एम0 का प्रयोग केवल पंचकूला और रेवाड़ी जिलों में किया जायेगा। पंचों और पंचायत समिति सदस्यों की बकाया सीटों के चुनाव में मतपत्रों का इस्तेमाल किया जायेगा इसके लिए लगभग 45000 मतपेटियों का प्रयोग किया जायेगा।

12. उन्होनें बताया कि राज्य में 6198 ग्राम पंचायतें, 126 पंचायत समितियां और 21 जिला परिषदें हैं तथा इन संस्थाओं का चुनाव तीन चरणों में करवाया जायेगा। प्रथम चरण के चुनाव में 47 खण्ड और 8981 मतदान बूथ हैं, जिनमें से 1702 बूथ संवेदनशील तथा 1801 बूथ अति संवेदनशील हैं। इस चरण में कुल 4659922 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगें जिनमें से 2505710 पुरूष तथा 2154212 महिला मतदाता है। इस उददेश्य के लिए लगभग 44994 मतदान कार्मिको, 522 सुपरवाइजरी स्टाफ तथा 439 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की तैनाती की जायेगी। दूसरे चरण में 44 खण्ड और 7412 मतदान बूथ हैं, जिनमें से 1314 बूथ संवेदनशील तथा 1527 बूथ अति संवेदनशील हैं। इस चरण में कुल 3714364 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगें जिनमें से 1997711 पुरूष तथा 1716653 महिला मतदाता है इस उददेश्य के लिए लगभग 37174 मतदान कार्मिको, 431 सुपरवाइजरी स्टाफ तथा 372 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की तैनाती की जायेगी। तीसरे चरण में 35 खण्ड और 5082 मतदान

बूथ हैं, जिनमें से 1143 बूथ संवेदनशील तथा 1099 बूथ अति संवेदनशील हैं। इस चरण में कुल 2635031 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगें जिनमें से 1401275 पुरूष तथा 1233756 महिला मतदाता है। इस उददेश्य के लिए लगभग 25507 मतदान कार्मिको, 303 सुपरवाइजरी स्टाफ तथा 254 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की तैनाती की जायेगी। आंकड़ों का जिलावार विवरण अनुलग्नक “क” में दिया गया है।

13. श्री राजीव शर्मा ने बताया कि पंचायत चुनावों के सम्बन्ध में आदर्श आचार संहिता आज अर्थात् 15.12.2015 से पंचायती राज संस्थाओं के जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है, उनमें सारणी की घोषणा के साथ ही लागू हो गयी है। आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा जिससे विभिन्न जातियों और समुद्रायों, धर्म या सम्प्रदायों के बीच विवाद का कारण हो या जिससे आपसी मन मुटाव होता हो या जो तनाव का कारण बने । मत सुनिश्चित करने के लिए जातीय या सामुदायिक भावना वाली कोई अपील नहीं की जायेगी। शांतिपूर्ण तथा अविचलित घरेलु जीवन हेतु प्रत्येक के व्यक्तिगत अधिकार का सम्मान किया जायेगा। सभी पार्टियां तथा उम्मीदवार ऐसी सभी गतिविधियों से बचेगें जोकि चुनाव नियम के तहत भ्रष्ट आचरण तथा आपराधिक हों जैसा कि मतदाताओं को घूस देना, प्रलोभन देना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्रों के 100 मीटरों के अन्दर वोट मांगना, मतदान खत्म होने के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त 48 घटों के दौरान सार्वजनिक बैठक आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जाना और वापिस छोड़ना। सभी राजनैनिक पार्टियां, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार तथा सरकारी कर्मचारियों को राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष और शंतिपूर्वक ढंग से आयोजित करवाने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना करनी होगी। चुनाव कार्य से सम्बन्धित किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तथा चुनावों के लिए इस सारणी की घोषणा के साथ आदर्श संहिता की अन्य अपेक्षाओं के पूरा होने तक स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

14. उन्होनें बताया है कि उपरोक्त कार्यक्रम का यथा सम्भव व्यापक प्रचार करने के उददे्श्य से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (पंचायत) को गावों में मुनादी द्वारा, प्रैस विज्ञाप्तियां जारी करके तथा अन्य सामग्रियों के माध्यम से तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों में पेड विज्ञापन जारी करके तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया का इस्तेमाल किया जायेगा ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति मतदान के लिए आगे आयें और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के मजबूतीकरण हेतू पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को चुनें।

15. पेड न्यूज : श्री शर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग लोकतंत्र और इसके मजबूतीकरण में मीडिया की भूमिका के प्रति सचेत है और इलैक्ट्रोनिक तथा प्रिंट मीडिया से सहायता और सहयोग की उम्मीद करता है कि वे पैसे या किसी अन्य माध्यम से किसी भी उम्मीदवार का अनुचित प्रचार न करें। उन्होनें इस बात पर जोर दिया कि आयोग पेड न्यूज की बुराई के प्रति सचेत हैं तथा मीडिया के सहयोग एवं सहायता की उम्मीद करता है और यही इसे निपटने का बेहतर तरीका है।

16. उन्होनें आगे बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा । इन पर्यवेक्षकों को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा जायेगा। चुनाव पर्यवेक्षक स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शांन्मिपुण चुनाव आयोजित करने के लिये किये गये आवश्यक प्रबन्धों की समीक्षा के लिये कम से कम चार बार बैठकर आयोजित करेगें। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप–अधीक्षक तथा अन्य अधिकारी कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा करेगें तथा प्राप्त शिकायतों की जांच करेगें।

17. उन्होनें आगे बताया कि चुनाव लड रहे उम्मीदवारों के चुनावी खर्चे की प्रभावी परिवीक्षण के लिये हर जिले में एक–एक चुनाव खर्च पर्यवेक्षक भी

नियुक्त किया जायेगा। चुनाव खर्च पर्यवेक्षक धन बल के दरूपयोग पर कडी निगरानी रखेगा और इसकी रोकथाम के लिये आवश्यक सुझााव देगा।

18. उन्होने आगे बताया कि यदि आवश्यक हुआ तो सर्वेदनशील अथवा अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों की वीडियोग्राफी भी की जायेगी।

19. उन्होने इस बात की भी जानकारी दी कि चुनाव आयोजित करने के लिये सुरक्षा प्रबन्धों के सम्बन्ध में मतदान केन्द्रों पर चुनाव कार्य में नियुक्त कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, मतदान सामग्री की सुरक्षा तथा चुनाव प्रक्रिया की सम्पूर्ण समीक्षा शामिल हैं। गृह विभाग से पहले ही आग्रह किया जा चुका है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किये जाये तथा पंचायती राज संस्थाओ के चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शांन्तिपूर्ण, पारदर्शी तथा हिसा मुक्त तरीके से सम्पन्न करवाये जा सके।

20. उन्होने बताया कि जिला मुख्यालयों से प्रतिदिन प्राप्त चुनाव शिकायतों के त्वरित समाधान के लिये राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के कार्यालय मे शिकायत प्रकोष्ठ भी स्थापित किया जायेगा।

21. उन्होने बताया कि मुख्यालय तथा जिला स्तर पर एक समुचित संचार योजना भी बनाई जायेगी ताकि आपसी तालमेल बना रहे तथा चुनाव के दिन किसी भी प्रकार की अवरूधता को सही किया जा सके।

22. उन्होने आगे बताया कि राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को निर्देश दिये गये है कि वे पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्र स्थापित करें और इनमें रैम्प, प्राथमिक उपचार की सुविधा, शैड, पेयजल, शौचालय इत्यादि की मूलभूत नागरिक सुविधायें उपलब्ध हो ताकि चुनाव के दिन वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, शारिरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो।

23. उन्होने बताया कि राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को निर्देश दिये जा चुके हैं कि रिटरनिंग अधिकारी, सहायक रिटरनिंग अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा अन्य चुनाव डयूटी में लगे कर्मचारियों को उनके स्वयं के वार्ड या गांव में नियुक्त ना किया जाये। विशेष सोफटवेयर के माध्यम से मतदान पार्टीयां क्रम रहित (रैन्डम) तरीके से गठित की जायेगी। उदाहरण के तौर पर चुनाव डॅयूटी के सबसे पहले कर्मचारियो को खण्ड आबंटित किये जायेगे तथा दूसरे चरण में आबंटित मतदान केन्द्रों पर मतदान पार्टीयां भेजी जायेगी।

24. राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा श्री राजीव शर्मा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि लोकतन्त्र को जमीनी स्तर पर सुदृढ करने के लिये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाग लें और जन प्रतिनिधियों का चयन करें।